

प्राचार्य का कार्यालय, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर

कार्यालय आदेश

एम0सी0आई0, नई दिल्ली के पत्रांक – MCI-34(1)/2020-UG-Med/201859 दिनांक – 02.04.2020 एवं प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के पत्रांक – 183 (HS) दिनांक – 01.04.2020 द्वारा COVID-19 के विश्वव्यापी संक्रमण के मद्देनजर निर्गत ईन्टर्नशीप आदेश के आलोक में Nandita Kumari, Session – 2015-16, Roll No. – 162509270299, M.G.M. Medical College, Jamshedpur, (Kolhan University, Chaibasa) द्वारा COVID-19 के कारण सम्पूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन होने के कारण अपने गृह शहर/जिला, मुजफ्फरपुर में होने के फलरूप आज दिनांक – 03.04.2020 को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में ईन्टर्नशीप प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र समर्पित की हैं ।

एम0सी0आई0, नई दिल्ली के पत्रांक – MCI-34(1)/2020-UG-Med/201859 दिनांक – 02.04.2020 एवं प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के पत्रांक – 183 (HS) दिनांक – 01.04.2020 के आलोक में भारतवर्ष में लॉकडाउन रहने तक के लिए Nandita Kumari, Session – 2015-16, Roll No. – 162509270299, M.G.M. Medical College, Jamshedpur, (Kolhan University, Chaibasa) को ईन्टर्नशीप प्रशिक्षण (Honorarium) करने हेतु दिनांक – 03.04.2020 के प्रभाव से अनुमति प्रदान की जाती है तथा निदेश दिया जाता है कि Nandita Kumari अपना योगदान अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगी ।

Nandita Kumari, Session – 2015-16, Roll No. – 162509270299, M.G.M. Medical College, Jamshedpur, (Kolhan University, Chaibasa) को निदेशित किया जाता है कि COVID-19 के मद्देनजर लगे लॉकडाउन के समाप्त होने के उपरान्त आवागमन शुरू होने पर आप अविलम्ब अपने मूल चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में ईन्टर्नशीप प्रशिक्षणप्राप्त करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को सूचित करते हुए स्वतः विरमित हो जायेंगी ।

ह0/-
प्राचार्य

ज्ञापांक:- 971/20

दिनांक:- 04/04/2020

- प्रतिलिपि:- 1. Dr. R. K. Vats, Secretary General, MCI, New Delhi को उनके पत्रांक – MCI-34(1)/2020-UG-Med/201859 दिनांक – 02.04.2020 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार को उनके पत्रांक – 183 (HS) दिनांक – 01.04.2020 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित ।
4. प्राचार्य, M.G.M. Medical College, Jamshedpur, (Kolhan University, Chaibasa) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
5. अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
6. निबंधक, झारखंड मेडिकल कॉन्सिल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
7. कॉलेज वेबसाईट ।

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर